न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 17/2023

अनवान :–

1. सुभाष चौमवाल पुत्र नागरमल चौमाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. कमला पुत्री नत्थुराम जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. गीतादेवी पुत्री रामेश्वरी जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. परमेश्वरी पत्नी नत्थुराम जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. बिन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
7. राणाराम पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
8. लिलूराम पुत्र मामचन्द्र जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
9. हनुमान पुत्र मामचन्द जाति नायक निवासी चैनपरुा तहसील नोहर।
10. सरोज कंवर पत्नि पृथ्वीसिह जाति राजपूत निवासी चेनपुरा तहसील नोहर।
11. रामप्रताप पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 198 के खसरा न0 251 की 63230हैक् भूमि सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 5313/6323 हिस्सा व सरोज कंवर क 1010/6323 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रांर्थी की भूमि के चिपते ही पश्चिमी पासा की खातेदारी भूमि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 66 की गैरसायलान संख्या 1 ता 9 की खातेदारी भूमि है व खसरा न0 131 की 0.3160हैक् , खसरा न0 214 की 2.3520हैक् खसरा न0 83 की 11.051हैक् खसरा न0 85 की 4.9320हैक् कुल 18.6510हैक् भूमि में जिसमें अप्रार्थीया सख्या 1 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थीया संख्या 2 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 4 का 29/240 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 का 3/40 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 का 3/40 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 का 29/240 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के पश्चिम तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 का खसरा न0 214 तथा खसरा न0 214 के चिपते हुए उतर से दक्षिण मंजुरशुद्वा सड़क आम रास्ता है प्रार्थी रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खसरा न0 214 जो अप्रार्थीगण का है उसकी उतरी सीमा से अपने खेत /खातेदारी भूमि में सदैव से आवागमन करता आ रहा है किन्तु उक्त रास्ता मंजुरशुद्वा नही होने के कारण अप्रार्थीगण ने बन्द किया है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने का कोई रास्ता नही है।

प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी रोही मौजा चेनपुरा के मंजुरशुद्वा रास्ता से खसरा न0 214 की उतरी सीमा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 215 तक एक विश्वा रास्ता मंजुर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिससे प्राथ्री अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसके बदले में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि या नियमानुसार राशि देने को तेयार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 66 के खसरा न0 214 की उतरी सीमा पर 1 बिश्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम मंजुर किया जावे रास्ते की भूमि के बदले में एक बिश्वा भूमि खसरा न0 215 की भूमि जो अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते हुए प्रार्थी की भूमि से कम की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किया जाने पर भी अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी के पश्चिम तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 का खसरा न0 214 तथा खसरा न0 214 के चिपते हुए उतर से दक्षिण मंजुरशुद्वा सड़क आम रास्ता है प्रार्थी रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खसरा न0 214 जो अप्रार्थीगण का है उसकी उतरी सीमा से अपने खेत /खातेदारी भूमि में सदैव से आवागमन करता आ रहा है किन्तु उक्त रास्ता मंजुरशुद्वा नही होने के कारण अप्रार्थीगण ने रोक दिया है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता की आवश्यकता है प्रार्थी रोही मौजा चेनपुरा के मंजुरशुद्वा रास्ता से खसरा न0 214 की उतरी सीमा से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 215 तक एक विश्वा रास्ता मंजुर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिससे प्राथ्री अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसके बदले में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि या नियमानुसार राशि देने को तेयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया

रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 198 के खसरा न0 251 की 63230हैक भूमि सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 5313/6323 हिस्सा व सरोज कंवर क 1010/6323 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रांर्थी की भूमि के चिपते ही पश्चिमी पासा की खातेदारी भूमि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 66 की गैरसायलान संख्या 1 ता 9 की खातेदारी भूमि है जो खसरा न0 131 की 0.3160हैक , खसरा न0 214 की 2.3520हैक खसरा न0 83 की 11.051हैक खसरा न0 85 की 4.9320हैक कुल 18.6510हैक भूमि में जिसमें अप्रार्थीया सख्या 1 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थीया संख्या 2 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 4 का 29/240 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 का 3/40 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 का 3/40 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 का 29/240 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 214 के चिपते हुए उतर से दक्षिण मंजुरशुद्वा सडक आम रास्ता है खसरा न0 214 की भूमि अप्रार्थीगण की है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा न0 215 की भूमि है खसरा न0 215 में आवागमन करने के लिये मंजुरशुद्वा रास्ता से होकर खसरा न0 214 में से खसरा न0 215 तक एक बिश्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है प्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने /आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है।

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अनुसार अप्रार्थीगण की सयुक्त खाता की भूमि के खसरा न0 214 के उतर से दक्षिण की तरफ मंजुरशुद्वा आम सडक/रास्ता है जो चालू है इस मंजुरशुद्वा रास्ता से प्रार्थी के खेत /खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये कोई भी रास्ता नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि और मंजुरशुद्वा रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 214 आती है जिसमें एक कोने पर रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पहुच सकता है अर्थात नजरीय नक्शा मे दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये न्यायोचित है।

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजरीय नक्शा अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है यह खसरा न0 214 के एक कोने पर स्थित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 66 के खसरा न0 214 की उतरी सीमा पर 1 बिश्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी रास्ता में जितनी भूमि आती है उतरी भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए खसरा न0 215 में से रास्ता को छोडते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:36:05 IST
Reason: SelfAttested